



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/२०१९/३०९

दिनांक २९/६/ २०१९

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) की धारा—37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के पत्र सं० लो०वि०/सम्ब०/२०१७/३०९ दिनांक: २९.०६.२०१७ द्वारा सत्र २०१७–१८ से सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि मानक पूर्ण कर लेने के उपरान्त औपचारिक आदेश निर्गत किये जायें। माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक २९.०६.२०१९ के अनुपालन में रमाशंकर प्रभा महाविद्यालय, दान्दूपुर, सुखारीगंज, अम्बेडकरनगर के स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत कला, भूगोल, एवं शिक्षाशास्त्र अतिरिक्त विषयों तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों को स्वित्पेषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१७–१८, २०१८–१९ का विस्तरण प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र २०१९–२० से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।


१. संरक्षा/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: २८५१/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई, २००३ मे उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
२. संरक्षा/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्त महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
३. संरक्षा/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा मे उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रविधानों के अन्तर्गत संरक्षा को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
४. संरक्षा/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
५. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायें।
६. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा।
७. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ मे पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन मे मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध मे निर्गत शासनादेश संख्या-५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
८. संरक्षा/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
९. संरक्षा/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६(२०)/२०११, दिनांक २२ मई, २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रतिया सुनिश्चित की जायेगी।
१०. संरक्षा/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रबन्धक, रमाशंकर प्रभा महाविद्यालय, दान्दूपुर, सुखारीगंज, अम्बेडकरनगर।
२. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
३. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
४. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य करें।


कुलसचिव